भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5368

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

एमएसएमई के लिए कारोबार करने में सुगमता

5368. श्री एस. जगतरक्षकन:
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एसोचैम-ईजीआरओडब्ल्यू द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी है, जिसमें बताया गया है कि 30 प्रतिशत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) वित्त अर्जन के लिए संघर्ष करते हैं, 34 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) संबंधी जटिल अनुपालन मुद्दों का सामना करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और निरंतरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एमएमएमई हेतु सहायता योजनाओं को सुचारु बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं कि विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, इन योजनाओं के बारे में जानकारी उद्यमियों तक पहुंचे;

(ग) क्या सरकार एमएसएमई पर विनियामक बोझ को कम करने के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधारों पर विचार कर रही है, जिसमें स्तरीकृत दंड संरचना और राज्य-विशिष्ट जीएसटी पंजीकरण सरलीकरण शामिल है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में एमएसएमई के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करने और कारोबार करने में सुगमता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्त तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई पहलें और उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विशिष्ट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, पीएम विश्वकर्मा, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, आत्म-निर्भर भारत, स्टार्टअप्स के लिए निधियों की निधि जैसी योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं।

जैसाकि, जीएसटी परिषद द्वारा सूचित किया गया है, एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर, व्यवसाय में सुगमता को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई पर विनियामक बोझ को कम करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।

(i) टर्नओवर के आधार पर, कुछ उद्यमों को जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- यदि किसी वित्त वर्ष में माल की आपूर्ति का कुल टर्नओवर 40 लाख से अधिक नहीं है
- यदि किसी वित्त वर्ष में सेवाओं की आपूर्ति के लिए कुल कारोबार 20 लाख से अधिक नहीं है

(ii) जीएसटी में कंपोजीशन लेवी स्कीम एक निर्धारित सीमा तक कारोबार करने वाले एमएसएमई करदाताओं पर कर लगाने का एक वैकल्पिक तरीका है।

(iii) एमएसएमई के लिए जीएसटी फाइलिंग को सरल बनाने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रिटर्न फाइलिंग प्रावधान शुरू किए गए हैं। सरकार ने अधिसूचित किया है कि पिछले वित्त वर्ष में, 5 करोड़ रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले सभी पात्र पंजीकृत व्यक्ति, कर के मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुन सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के बारे में जानकारी सभी उद्यमियों विशेष तौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्यमियों तक पहुंचें, एमएसएमई मंत्रालय/एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, संबंधित राज्यों/संघ राज्यों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और अन्य हितधारकों के मंत्रालयों, संगठनों आदि के द्वारा एकजुट होकर नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

(घ) : विनियामक समस्याओं के समाधान करने के लिए और एमएसएमई के लिए व्यापार में सुगमता में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नानुसार कई कदम उठाए गए हैं:

(i) एमएसएमई के लिए पंजीकरण को सहज करने के लिए 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया। उद्यम पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपर लैस और स्व-घोषणा आधारित है। मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का आरंभ किया है। इससे पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण का लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है।

(ii) एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 11.08.2021 के अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3237 (ई) माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 से संबंधित व्यवसाय के साथ-साथ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को भी कम कर दिया है।

(iii) डीपीआईआईटी से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली विकसित की गई है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा मंजूरी/नियामक प्रणालियों को एकीकृत करती है। इस सुविधा के माध्यम से कुल 278 केंद्रों को सरकार की स्वीकृति प्राप्त है और 2,977 केन्द्रों ने राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है।

*****